मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्राडबैन्ड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) की दिनांक 11 अप्रैल, 2025 को लोक भवन में स्थित सभाकक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्तः-

उपस्थिति-संलग्नानुसार

बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश के इण्डो-नेपाल बार्डर एरिया के कुल 07 जनपदों (बहराइच, लखीमपुर- खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती) के 153 ग्रामों में से जिन 50 ग्रामों में मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी (इण्डियन कैरियर) उपलब्ध नहीं है, के अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी।

इस सम्बन्ध में उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि दूरसंचार विभाग तथा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ किये गये सर्वे के उपरान्त बीएसएनएल द्वारा पुनः उन 50 ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा 50 में से 06 ग्राम ऐसे पाए गए, जो अन्य सेवाप्रदाताओं से अच्छादित थे। शेष 44 ग्रामों के सापेक्ष 19 ग्रामों तक नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं 25 ग्रामों में नेटवर्क उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन 19 ग्रामों में नेटवर्क सुविधा प्रदान की जा चुकी है, उनकी सूची उपलब्ध करायी जाये तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों से वस्तुस्थिति की सूचना प्राप्त कर लिया जाये।

(2) प्रधान-महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि 4G Saturation के अन्तर्गत ग्राम दोगौलिया, सोनभद्र में 4जी नेटवर्क उपलब्ध कराया जाना है, जिस हेतु बिछाई जा रही Optical Fiber Cable तहसील ओबरा, जनपद-सोनभद्र के वन क्षेत्र से होते हुए पहुँचनी है, परन्तु आवश्यक Premium तथा Lease rent आदि कारणों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर लम्बित है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कर कार्यालय, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-वन विभाग)

(3) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि विभिन्न जनपदों में सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा गृह कर तथा जल कर के बकाया होने की स्थिति में घरों को सील कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में यदि मोबाइल टावर घर के भीतर अथवा छत पर स्थापित है, तो सम्बन्धित सेवा प्रदाता द्वारा उसका संचालन सम्भव नहीं हो पाता है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन घरों पर गृह कर एवं जल कर बकाया है उन घरों पर मोबाइल टावर की स्थापना से बचा जाए । नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राइट आफ वे रूल्स-2024 के अन्तर्गत इस आशय का निदेश पृथक रूप से निर्गत कर दिया जाए कि

जनहित में नियमों में प्रदत व्यवस्था के अनुरूप बिना यथोचित सक्षम कारण व् सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के महज भवन पर बकाया के वसूली हेतु भवन परिसर में अवस्थित टेलिकॉम इन्फ्रा से जुड़े हुए परिसम्पति को सील न किया जाये |

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग एवं दूरसंचार विभाग)

(4) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के अनुसार विभाग आवेदन के सापेक्ष 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है तथा आवेदक 15 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर दे सकता है एवं पुनः 45 दिनों में विभाग आवेदन को निरस्त करने के कारण से आवेदक को अवगत कराना होगा एवं आवेदन द्वारा पुनः निरस्तीकरण के कारणों के सापेक्ष 15 दिनों में अपना मत दर्ज कर सकते है। ऐसी दशा में विभाग यदि सहमत है तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं यदि असहमत है तो अंतिम निरस्तीकरण 07 दिनों के भीतर दर्ज कर सकेंगे। ऐसी दशा में अधिसूचना के पूर्ण अनुपालन हेतु पोर्टल को निवेश मित्र पोर्टल से डी-लिंक किये जाने के उपरान्त ही सम्भव हो पायेगा। इस हेतु सचिव, भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2025 के माध्यम से पृथक रूप से पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा आवेदन के निस्तारण की अवधि उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय अवधि से कम है ऐसी दशा में विकसित किये जाने वाले नवीन राइट आफ वे पोर्टल पर आवेदन को निस्तारित करने की प्रक्रिया निवेश मित्र की शर्तों के अनुरूप ही रहेगी एवं प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा निवेश मित्र से ही की जाती है अतः निवेश मित्र पोर्टल से डी-लिंक नहीं किया जा सकता है। सम्बन्धित विभाग, भारत सरकार को इस विषय से अवगत करायें कि राज्य सरकार, प्राप्त आवेदनों का निरस्तीकरण अकारण (unreasonable) न हो, यह सुनिश्चित करेगी।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(5) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि Telecommunication Act-2023 के Section 14 (4) के अनुपालन स्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव से अनिम्न नोडल आफिसर को नामित करते हुए सूचना भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है जोकि वर्तमान में लम्बित है।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के क्रम में नोडल आफिसर नामित किये जाने की प्रक्रिया गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में प्रचलन में है शीघ्र ही सूचना भारत सरकार को प्रेषित कर दी जायेगी।

(कार्यवाही-गृह विभाग)

(6) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 4G Saturation के अन्तर्गत 16 साइटों (जनपद मिर्जापुर में ग्राम पीदरया, ददरी गहिरा, चीचलिक, देवहर, जनपद सोनभद्र में जोगैल, अरगुर, रानीडीह, जनपद खीरी बांदर भरारी, टेन्थुहार, जनपद चंदौली में लतमरवा, जनपद बीजनौर में कुआं खेडा, जनपद सहारनपुर में नथोडी़, रानीपुर बरसी,

जलालपुर, धौराला, घंगागली/इन्द्रावली) पर बीएसएनएल द्वारा बिजली कनेक्शन दिया जाना उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्तर पर लम्बित है।

इस सम्बन्ध में प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त आवेदन कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा 60 दिनों के भीतर है। समस्त कनेक्शन निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध करा दिये जायेगें।

(कार्यवाही-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड)

(7) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 07 गांव (जनपद- ललितपुर के बनगुवान, लखनगेर, पपरो, जनपद सोनभद्र के डालापीपर, पगडेवा, जनपद लखीमपुर के कीरतपुर, सुरमा) में मोबाइल टावर को आरडीएसएस के अन्तर्गत Electrified किये जाने थे, परन्तु अभी तक लम्बित है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आरडीएसएस से आच्छादित योजनाओं प्रतिपादन आरडीएसएस द्वारा स्वीकृति निर्गत के उपरान्त ही किया जा सकेगा, परन्तु उल्लिखित गांव में बिजली उपलब्ध है यह सूचना जनपद स्तर से प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाही-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड)

(8) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि वर्तमान में ऐसे मोबाइल टावर्स जो Postpaid कनेक्शन से संचालित है वो Prepaid/Smart Meter से परिवर्तित कर दिये जाए।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड Commercial इकाईयों में उपलब्ध Postpaid कनेक्शन को Prepaid कनेक्शन से प्राथमिकता से स्थानांतरित किये जाए। ऐसे समस्त मोबाइल टावर्स जो Postpaid कनेक्शन से संचालित हैं उनको Prepaid/Smart Meter से परिवर्तित करते हुए शासन को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड)

(9) प्रधान महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अनुरोध किया गया कि USOF परियोजना के अन्तर्गत 16,718 ग्राम पंचायतों में 05 FTTH कनेक्शन तथा 01 PM-WANI वाई-फाई लगाया जा रहा है तत्क्रम में कतिपय ग्राम पंचायतों तक कनेक्ट होने वाली ओएफसी (OFC) क्षतिग्रस्त हो चुकी है उनको अन्य ब्लाक तथा ग्राम पंचायतों से परिवर्तित कर दिया जाए।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि प्रमुख सचिव आई टी एवं इलेक्ट्रोनिक्स बी एस एन एल के अनुरोध पर यथावश्यक परियोजना के शीघ्र लक्ष्य प्राप्ति के विषयगत यथोचित निर्णय सुनिश्चित करें | उक्त बिंदु पर परिचर्चा में प्रमुख सचिव आई टी ने समिति के समक्ष परियोजना की अत्यंत धीमी प्रगति को रेखांकित किया जिसपर समिति ने असंतोष व्यक्त करते हुए यह निदेशित किया की परियोजना की वितीय एव भौतिक प्रगति भली भांति सुनिश्चित की जाये | यह भी संज्ञान में लिया गया कि इस परियोजना में दिए गए कनेक्शन में अनुश्रवण हेतु

पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुरूप अभी भी बी एस एन एल द्वारा सतोषजनक NMS Solution उपलब्ध नहीं कार्य गया है | प्रमुख सचिव आई टी द्वारा समिति को अवगत काया गया कि बीएसएनएल द्वारा USOF Scheme के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे FTTH कनेक्शन के लाइव स्टेटस NMS Dashboard पर उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही परिचालन व्यय का भुगतान कराया जाना सम्भव होगा| उक्त बिंदु से सहमति व्यक्त करते हुए यह निदेशित किया कि बीएसएनएल को परियोजना के कैपिटल मद में अवमुक्त रू0-300.00 करोड़ के सापेक्ष बीएसएनएल द्वारा अर्जित ब्याज एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त की स्थिति भी स्पष्ट करा ली जाये |

(कार्यवाही- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग एवं भारत संचार निगम लिमिटेड)

(10) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्तर पर जिला स्तरीय दूरसंचार समिति (डीएलटीसी/डीएलसी) का गठन किये जाने हेतु समस्त जनपदों से अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक मात्र दो जनपद में ही डीएलटीसी का गठन किया जा सका है अतः अन्य जनपदों में भी डीएलटीसी गठित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अपने स्तर से सम्बन्धित जिलों में पत्र प्रेषित कर कमेटी का गठन कराया जाना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

(11) उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि Call Before u Dig के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि CBuD App का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा परन्तु राज्य में किये जा रहे उत्खन्न की सूचना को CBuD App पर प्रेषित नहीं किया जा रहा है, जिससे राज्य की भूमिगत सम्पत्ति की क्षति हो रही है, अतः इसको सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्णतः उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभागों को CBuD App के उपयोग हेतु पत्र प्रेषित कर दिया जाए।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
ANURAG YADAV
Date: 26-05-2025
16:53:56

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-482/78-1-2025-1099/1227/2020

लखनऊः दिनांक 26-05-2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

3-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास, लोक निर्माण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं शहरी नियोजन, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, गृह, ऊर्जा, राजस्व, औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन, माध्यमिक शिक्षा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन ।

5-निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

6-आई0जी0,सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी),लखनऊ फ्रंटियर, विभूतिखण्ड, लखनऊ।

7-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।

8-प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

9-प्रबन्ध निदेशक, यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

10-उप महानिदेशक, (ग्रामीण-1) (पूर्वी/पश्चिमी) संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

11-मुख्य महाप्रबन्धक, बी.एस.एन.एल. यूपी (पूर्वी), टेलीकाम सर्किल, हजरतगंज, लखनऊ।

12-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार गुप्ता)

अनु सचिव।